

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाकव्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए 3-60-2005-1-पांच (48).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट रीति में तथा सीमा तक संशोधन करती हैः—

सारणी

अनुक्रमांक	अधिसूचना क्रमांक (1)	संशोधन (3)
1.	एफ-ए-3-88-06-1-पांच (06), दिनांक 21-3-2007	अंक "31-3-2010" के स्थान पर, अंक "31-3-2011" स्थापित किए जाएं।
2.	एफ-ए-3-60-05-1-पांच (09), दिनांक 1-4-2007	1. अंक तथा शब्द "31 मार्च, 2010" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 मार्च, 2011" स्थापित किए जाएं। 2. अनुक्रमांक 10 और उससे संबंधित प्राविष्ठियों का लोप किया जाए।
3.	एफ-ए-5-4-2007-1-पांच (25), दिनांक 27-6-2007	अंक "31-3-2010" के स्थान पर, अंक "31-3-2011" स्थापित किए जाएं।
4.	एफ-ए-3-6-07-1-पांच (29), दिनांक 22-9-2007	अंक "31-3-2010" के स्थान पर, अंक "31-3-2011" स्थापित किए जाएं।
5.	एफ-ए-3-6-08-1-पांच (8), दिनांक 27-3-2008	1. अंक "31-3-2010" के स्थान पर, अंक "31-3-2011" स्थापित किए जाएं।

(1)	(2)	(3)
6.	एफ-ए-3-26-09-1-पांच (22), दिनांक 3-8-2009	2. अनुसूची में, कॉलम (1) में, अंक और शब्द “1. कपास/रुई या मानव निर्मित रेशे” के स्थान पर, अंक और शब्द “1. मानव निर्मित रेशे” स्थापित किए जाएं। अनुक्रमांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए।
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. यादव, अपर सचिव, भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच (48).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-60-2005-1-पांच (48), दिनांक 1 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव,

Bhopal, the 1st April 2010

No. F-A-3-60-2005-1-V(48).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby makes the amendments in this Department's Notifications specified in column (2) of the table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said table:—

TABLE

S. No.	Notification No.	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	F-A-3-88-06-1-V (06) dated 21-3-2007.	For the figures “31-3-2010”, the figures “31-3-2011” shall be substituted.
2.	F-A-3-60-05-1-V (09) dated 1-4-2007	1. For the figures and word “31st March, 2010”, the figures and word “31st March, 2011” shall be substituted. 2. Serial number 10 and entries relating thereto shall be omitted.
3.	F-A-5-4-2007-1-V (25) dated 27-6-2007	For the figures “31-3-2010”, the figures “31-3-2011” shall be substituted.
4.	F-A-3-6-07-1-V (29) dated 22-9-2007	For the figures “31-3-2010”, the figures “31-3-2011” shall be substituted.
5.	F-A-3-6-08-1-V (8) dated 27-3-2008	1. For the figures “31-3-2010”, the figures “31-3-2011” shall be substituted. 2. In Schedule, in column (1), for the figure and words “1. Cotton fibre or man-made fibre”, the figure and words “1. Man-made fibre” shall be substituted.
6.	F-A-3-26-09-1-V (22) dated 3-8-2009	Serial number 1 and entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.